


तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही समय इनिशियल्स जज

सोपान वाउ नं. 24/2023 नं. 37/15 अंश


11/3/25

पत्रावली पेय ही वकील वकीली मूल वाउ नं. 24/2023 नं. 37/15 अंश
नं. 26/3/2025 को पेय ही


उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

26/3/25

पत्रावली पेय ही वकील वा वाउ नं. 24/2023 नं. 37/15 अंश
नं. 26/3/2025 को पेय ही
पत्रावली ने शामिल किया गया। लड़कियां ही
पत्रावली पेय ही पत्रावली पेय ही
नं. 26/3/2025 को पेय ही


उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम किशनगढ (अजमेर)
व इजलास श्रीमती निशा सहारण, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं० 219/2007

1. नन्दा पुत्र रामदेव कौम जाट निवासी ग्राम खातौली तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०
 - 1/1 नोसर पत्नि नन्दा जाति जाट उम्र 72 साल
 - 1/2 भंवरलाल पुत्र नन्दा जाति जाट उम्र 51 साल
 - 1/3 रामस्वरूप पुत्र नन्दा जाति जाट उम्र 43 साल
सर्व निवासी खातौली तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।
 - 1/4 कमला देवी पुत्री नन्दा जाति जाट पत्नि हीरालाल जाति जाट निवासी सावंतसर तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०।
 - 1/5 मिठू देवी पुत्री नन्दा जाति जाट पत्नि विश्राम जाट निवासी कालीडूंगरी तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०।
 - 1/6 गंगा देवी पुत्री नन्दा जाति जाट पत्नि श्योजीराम निवासी ग्राम तिलोनिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०।
2. श्रीमती नोसर पत्नि नन्दा कौम जाट निवासी ग्राम खातौली तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०

वादीगण

बनाम

1. श्योजी पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी ग्राम खातौली तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०
2. सुखा पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी ग्राम खातौली तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०
3. सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ
4. अजमेर सहकारी भूमि विकास बैंक लि० अजमेर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् : 53, 188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर : 219/2007
निर्णय दिनांक :

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.11.2016 की पालना में मौका कमीश्नर तहसीलदार किशनगढ द्वारा वाद पत्र में वर्णित ग्राम खातौली स्थित वाद वर्णित भूमि ख०न० 176 रकबा 00-10-00 गै०मु० चाह व ख०न० 177 रकबा 18-05-00 भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में अच्छी एवं बुरी में बुरी के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादीगण को सुना गया। अतः कमीश्नर द्वारा पेश रिपोर्ट के आधार पर वादअधीन भूमि का निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है, कमीश्नर रिपोर्ट के साथ पेश संलग्न राजस्व मानचित्र अन्तिम डिक्री का एक भाग होगा:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हैक्टैयर में	किस्म	रंग
1.	(1) नन्दा पुत्र रामदेव के वारिसान वादी संख्या 1/1 से 1/6 का हि. 2/5 राहिन अजमेर सहकारी भूमि.वि.बैंक लि.शाखा किशनगढ (2)श्योजी पुत्र रामदेव हि 1/5 (3)श्रीमती नोसर पत्नी नन्दाराम हि. 1/5 (4) सुखा पुत्र रामदेव हि.1/5 सर्वगण जाति जाट सा.देह खातेदार	176 177/2	0.0809 0.0404	गै.मु चाह गै.मु. रास्ता	लाल
कुल किता 2			कुल रकबा 0.1213 हैक्टैयर		
2.	नन्दा पुत्र रामदेव जाति जाट के वारिसान वादी संख्या 1/1 से 1/6 राहिन अजमेर स. भूमि वि	177/1	1.1650	चाही प्रथम 0.4662 चाही द्वितीय 0.5112 बंजड प्रथम 0.1876	हरा

राजस्व कलक्टर
किशनगढ (अजमेर)

लि. शाखा किशनगढ़				
कुल किता 1		कुल रकबा 1.1650 हैक्टैयर		
शुभोजी पुत्र रामदेव जाति जाट सा. देह खातेदार	177/3	0.5825	चाही प्रथम 0.2330 चाही द्वितीय 0.2555 बंजड प्रथम 0.0940	नारंगी
कुल किता 1		कुल रकबा 0.5825 हैक्टैयर		
4. श्रीमती नोसर पत्नी नन्दाराम जाति जाट सा.देह खातेदार	177/4	0.5825	चाही प्रथम 0.2329 चाही द्वितीय 0.2557 बंजड प्रथम 0.0939	नीला
कुल किता 1		कुल रकबा 0.5825 हैक्टैयर		
5. सुखा पुत्र रामदेव जाति जाट सा. देह खातेदार	177/5	0.5825	चाही प्रथम 0.2329 चाही द्वितीय 0.2556 बंजड प्रथम 0.0940	काला
कुल किता 1		कुल रकबा 0.5825 हैक्टैयर		

असप्त में दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20/3/25 को जारी की गई।



(निशा सहारण)

सहायक क्लर्क
किशनगढ़ (अजमेर)